

प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश

1-गुरुगोविन्द सिंह मार्ग, बॉसमण्डी चौराहा, चारबाग लखनऊ।

जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के अन्तर्गत

नागरिक चार्टर

के सम्बन्ध में सूचना

—((*)—

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ एक संक्षिप्त परिचय

1. स्थापना

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ की स्थापना सन 1963 में प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 (यथासंशोधित अधिनियम 1966 एवं 1974) के अनुसार किया गया है। प्राविधिक शिक्षा परिषद् में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 40 सदस्य होते हैं। माननीय सदस्यों में माननीय विधायक गण, अभियान्त्रिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षा विदों के साथ-साथ शासन स्तर के वित्त तथा न्याय विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

2. सामान्य परिचय

वर्तमानतः प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध कुल 167 पॉलीटेक्निक हैं जिनमें सत्र 2009-10 में 165 संस्थाओं में प्रवेश दिये गये हैं। जिनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता लगभग 37865 है। सम्बद्ध संस्थाओं में कुल 52 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिनमें एक वर्षीय, दो वर्षीय एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नियमित प्रशिक्षण के साथ-साथ राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, झाँसी में पार्ट टाईम डिप्लोमा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है।

3. प्राविधिक शिक्षा परिषद् के कार्य एवं कर्तव्य

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ का गठन भारतीय संविधान की धारा-348 (3) के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 संख्या-XVII द्वारा 23 नवम्बर 1962 किया गया है। परिषद् के सभापति, उपसभापति सहित कुल 40 सदस्य होते हैं जिसमें माननीय विधायक गण, प्रमुख विभागों के पदेन अधिकारी, तकनीकी संस्थाओं के शिक्षाविद तथा उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद् के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं:-

प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के अनुच्छेद-12 में प्राविधिक शिक्षा परिषद् के कृत्य एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार

- (i) to affiliate institutions and prescribe courses of study and instructions leading to examinations conducted it ;
 - (ii) to prescribe standards for buildings and equipment of affiliated institutions
- ;

- (iii) to prescribe educational qualifications and other standards for the members of staff of affiliated institutions ;
- (iv) to prescribe educational qualifications for admission of students to affiliated institutions ;
- (v) to prescribe the manner of admission of students to affiliated institutions ;
- (vi) to admit candidate to examinations conducted by it ;
- (vii) to conduct examinations for promotion from lower to higher classes and also for awarding certificates and diplomas ;
- (viii) to publish results of examinations conducted by it ;
- (ix) to grant certificates and diplomas to students who have completed the prescribe course of study in an affiliated institution and have passed the examinations conducted by it ;
- (x) to co-operate with other authorities and bodies in such manner and for such purpose as may be necessary for giving effect to the provisions of this act ;
- (xi) to advise the State Government on coordinated development of technical education and training regarding the same ;
- (xii) to do all other such acts and things as may be necessary for the proper discharge of its functions under this Act or the rules or regulations made there under ; and
- (xiii) to carry out such other duties as may be imposed upon it under this Act or the rules or regulations made there under.

4. परीक्षा प्रणाली

वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा परिषद् में दो प्रकार की परीक्षा प्रणाली चलायी जा रही है।

(अ) वार्षिक परीक्षा प्रणाली:-

इस प्रणाली के अर्न्तगत छात्रों को वार्षिक परीक्षा के आधार पर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। छात्रों के सैत्रिक अंक का मूल्याकन, टेस्ट, उपस्थिति एवं नैतिक कार्यों के मूल्याकन के आधार पर किया जाता है जिन्हें वार्षिक परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़कर परीक्षाफल तैयार किया जाता है।

(ब) मल्टी प्वाइंट इण्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली:—

यह परीक्षा प्रणाली प्रदेश के चार पॉलीटेक्निकों राजकीय महिला पॉलीटेक्निक लखनऊ, राजकीय पॉलीटेक्निक कानपुर, डा0 अम्बेडकर इंस्टी0 फार हैण्डिकैप्ड कानपुर, नार्दन रीजनल इंस्टी0 आफ प्रिन्टिंग टेक्नालॉजी इलाहाबाद में लागू है। इसमें छात्रों की परीक्षा प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसम्बर में आयोजित की जाती है। इस पद्धति के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को सुविधा के अनुसार न्यूनतम चार से अधिकतम छः विषयों में अध्ययन/परीक्षा हेतु सुविधा प्रदान की जाती है जिससे दो एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा के सभी विषयों को निर्धारित समय से पूर्व ही उत्तीर्ण कर सकते हैं। प्रत्येक विषय के लिए क्रेडिट अंक निर्धारित है जिसके योग के आधार पर निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

दोनों प्रणालियों में छात्रों के अनुशासन एवं खेल कूद के लिए भी अंक निर्धारित हैं।

5. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000

प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 की धारा-23 के अन्तर्गत, उ0 प्र0 प्राविधिक शिक्षा (समितियों और उपसमितियों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा निम्न समितियों का गठन किया गया है एवं उनके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं:—

1. परीक्षा समिति,
2. परीक्षा परिणाम समिति,
3. पाठ्य विवरण समिति,
4. निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति,
5. मान्यता समिति

6. उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) विनियमावली 1992

छात्रों की परीक्षाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विनियमावली 1992 निर्मित है, जिसके नियमों, विनियमों के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षाओं का संचालन, छात्रों के प्रवेश एवं डिप्लोमा प्रदान किये जाते हैं।

7. सरकार से सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा संस्था विनियमावली 1996

सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों, संस्था के प्रधानाचार्य और प्रबन्ध कमेटी की शक्ति कर्तव्यों और कृत्यों, सिद्धान्तों, जिसके अन्तर्गत संस्था की प्रशासन योजना को अनुमोदन प्रदान किया जा सके, को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-1 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 की धारा 23 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए यह अधिनियम प्रख्यापित किया गया है।

8. स्थापना (स्टाफ स्ट्रक्चर)

प्राविधिक शिक्षा परिषद में अधिकारियों के कुल आठ पद, तृतीय श्रेणी के 50 पद एवं चतुर्थ श्रेणी के 17 पद सृजित है वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:-

**प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ
में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची**

क्र.सं.	नाम	पदनाम
	राजपत्रित	
1-	श्री सुरेन्द प्रसाद	सचिव
2-	श्री श्याम नारायण सिंह	संयुक्त सचिव
3-	श्री आर0 बी0 यादव	सहायक प्राचार्य
4-	श्री विनोद कुमार शुक्ला	उपसचिव
5-	श्री राम सुभग	सहायक सचिव
6-	श्री राम पाल	सहायक सचिव
7-	श्री शिवनाथ राम	परीक्षा अधीक्षक
	अराजपत्रित	
1-	श्री आर0 सी0 बाजपेई	लेखाकार
2-	श्री अजय चावला	लेखाकार
3	श्री सुरेन्द्र बहादुर	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
4	श्री शिव प्रताप	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
5	श्री मंगल प्रसाद	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
6	श्री ईश्वरदीन	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
7	श्री सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
8	श्री केशव राम	ज्येष्ठ सहायक (गोपन)
9	श्रीमती सुदेश कान्ता	ज्येष्ठ सहायक

10	श्री संजय सक्सेना	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट
11	श्रीमती मंजू यादव	कम्प्यूटर प्रोग्रामर
12	श्रीमती बलबीर कौर	आशुलिपिक
13	श्री विनोद कुमार तिवारी	आशुलिपिक
14	श्रीमती प्रीती सागर	आशुलिपिक
15	श्री विकास पाल	आशुलिपिक
16	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	सहायक लेखाकार
17	श्री बिन्दु कुमार	सहायक लेखाकार
18	श्री कैलाश नारायण	ज्येष्ठ सहायक
19	श्री एस0 के0 वर्मा	ज्येष्ठ सहायक
20	श्री लल्ला	ज्येष्ठ लिपिक
21	श्री राजेन्द्र प्रसाद	ज्येष्ठ लिपिक
22	श्री श्याम बहादुर सिंह	ज्येष्ठ लिपिक
23	श्री अशोक कुमार पाण्डेय	ज्येष्ठ लिपिक
24	श्रीमती इस्मत आरा अंसारी	ज्येष्ठ लिपिक
25	श्री रमेश चन्द्र यादव	ज्येष्ठ लिपिक
26	श्री राम कुमार	ज्येष्ठ लिपिक
27	श्री रामजी	कनिष्ठ लिपिक
28	श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी	कनिष्ठ लिपिक
29	श्री राकेश कुमार दुबे	कनिष्ठ लिपिक
30	श्री ओम कृष्ण चन्द्र	कनिष्ठ लिपिक
31	श्रीमती रजनी मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक
32	श्री अरविन्द सिंह	कनिष्ठ लिपिक/स्टोर कीपर
33	श्रीमती गीता रानी	कनिष्ठ लिपिक
34	श्री प्रदीप सिंह	कनिष्ठ लिपिक
35	श्री पवन कुमार लोधी	कनिष्ठ लिपिक
36	श्रीमती हेमा सिंह	कनिष्ठ लिपिक
37	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक
38	श्री रामेश्वर	ड्राइवर
	चतुर्थ श्रेणी	
1-	श्री राधेश्याम	दफ्तरी
2-	श्री मुन्ना लाल	बण्डल लिफ्टर
3-	श्री राम लखन	डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर
4-	श्री राम नेवाज	दफ्तरी
5-	श्री राम कुमार	चपरासी/अर्दली
6-	श्री रज्जन	चौकीदार
7-	श्रीमती मुन्नी	स्वीपर
8-	श्री राज कुमार	चपरासी/अर्दली
9-	श्री रामचन्द्र	फर्नास
10-	श्री महेश प्रसाद	चौकीदार
11-	श्री गोकरन प्रसाद	चपरासी
12-	श्री राम बहादुर	चपरासी

13-	श्री अयोध्या प्रसाद	चपरासी / अर्दली
14-	श्री रमेश धानुक	चपरासी
15-	श्री अशोक कुमार कश्यप	चपरासी / अर्दली
16-	श्री मनोहर श्याम श्रीवास्तव	चपरासी
17-	श्री लोकेश कुमार	गेटमैन

9. **बजट** प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के भुगतान सहित प्राविधिक शिक्षा परिषद के विभिन्न कार्यों जैसे प्रश्नपत्र निर्माण, मुद्रण, लेखन सामग्री मुद्रण, उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षाफल निर्माण, अंकपत्र डिप्लोमा प्रमाणपत्र आदि का मुद्रण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों के संचालन हेतु शासन द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर के माध्यम से बजट आवंटित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण निम्नवत है।

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ का माह मार्च- 2010 का व्यय विवरण (आयोजनेत्तर)

बजट आवंटन	वर्तमान माह का व्यय	पूर्व माहों का व्यय	क्रमिक योग	अवशेष
2	3	4	5	6
10667000	368761	9884074	10252835	414165
125000	26626	98344	124970	30
2240000	57465	2587429	2644894	-404894
200000	20533	179419	199952	48
10000	0	9955	9955	45
1200000	31313	1177773	1209086	-9086
450000	7500	442491	449991	9
300000	0	299983	299983	17
200000	33670	115052	148722	51278
5000	0	5000	5000	0
25000	4837	20147	24984	16
5000	5000	0	5000	0
55000	0	54868	54868	132
80000	10026	69964	79990	10
10000	0	9794	9794	206
3000000	1750	2998250	3000000	0
10000	0	9999	9999	1
20000	3661	16328	19989	11
5000000	0	4999971	4999971	29
0	0	0	0	0
3000	0	2247	2247	753
1000	0	996	996	4
88000	1856	86134	87990	10

173000	117057	52285	169342	3658
32000	0	5240	5240	26760
23873000	690055	23125743	23815798	57202

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

प्राविधिक शिक्षा परिषद के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 में निहित कृत्य एवं कर्तव्यों का अनुपालन सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सम्पादित करते हैं। सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के कर्तव्यों का विवरण प्राविधिक शिक्षा अधिनियम 1962 के अनुच्छेद-17 में वर्णित है जो निम्नवत् हैं:-

17- The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise some other powers and

- be responsible for the preparation of the estimates of accounts annual assessments of income and expenditure ;
- be responsible for ensuring that all moneys allotted to the Board are spent for the purposes for which they are allotted ;
- be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board ; and
- be entitled to be present at the meetings of the Board and take part in the proceedings, but shall have no right to vote.

प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषद से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण का कार्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पादित करने के लिए परिषद को निम्न अनुभागों में अन्तरविभाजित किया गया है जिनके कार्यों का विवरण भी उल्लेखित है।

1. अनुभाग-1 परिषद द्वारा सम्पन्न करायी जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्रियों को मुद्रित कराकर संस्थाओं एवं सम्बन्धित अनुभागों को उपलब्ध कराये जाने का कार्य। तत्सम्बन्धी दस्तावेजों का रख-रखाव।

2. अनुभाग-2 परिषद से सम्बन्धित संस्थाओं में परीक्षा व्यवस्था को सम्पादित करने के लिये आवश्यक प्रश्नपत्रों का निर्माण, माडरेशन एवं मुद्रण का कार्य सम्बन्धित अनुभाग द्वारा कराया जाता है। तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।

3. अनुभाग-3 परिषद से सम्बन्धित परीक्षाओं के सम्पादन के उपरांत उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षाफल निर्माण, अंकपत्रों आदि का निर्माण कार्य एवं स्कूटनी कार्य।

4. **अनुभाग-4** परिषद से सम्बन्धित प्रयोगात्मक परीक्षाओं से सम्बन्धित कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।
5. **अनुभाग-5** प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रमाणपत्र हेतु अर्ह घोषित छात्र/छात्राओं के डिप्लोमा प्रदान किये जाने का कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख तथा उद्योगों एवं अन्य विभागों की मांग पर परिषद द्वारा प्रदान किये गये डिप्लोमा का सत्यापन किया जाता है।
6. **अनुभाग-6** संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के परीक्षा हेतु पंजीकरण सम्बन्धी कार्यवाही तथा सैत्रिक अंको के रख-रखाव सम्बन्धी कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।
7. **परिषद अनुभाग** परिषद से सम्बद्ध राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त, निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं से सम्बन्धित पत्राचार एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के गठन एवं परिषद की बैठक तथा नई संस्थाओं के स्थापना आदि से सम्बन्धित कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।
8. **कम्प्यूटर अनुभाग** पंजीकृत छात्रों के सम्बन्ध में विभिन्न सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जाना, परीक्षाफल निर्माण का कार्य एवं डिप्लोमा निर्माण आदि का कार्य तथा परिषद के समस्त अनुभागों से सम्बन्धित कम्प्यूटर के कार्य।
9. **स्थापना अनुभाग** परिषद कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव एवं तत्सम्बन्धी कार्य।
10. **लेखानुभाग** परिषद कार्यालय हेतु शासन द्वारा आवंटित धनराशि वित्तीय नियमों के अनुसार अहारण/वितरण सम्बन्धी कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव।
11. **स्टोर अनुभाग** प्राविधिक शिक्षा परिषद के विभिन्न अनुभागों के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति हेतु क्रय एवं आपूर्ति का कार्य तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखों का रख-रखाव।
12. **कोर्टकेस प्रकोष्ठ** प्राविधिक शिक्षा परिषद के विरुद्ध योजित वादों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही किये जाने का कार्य एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख।
13. **सूचना अधिकार प्रकोष्ठ** सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार परिषद से सम्बन्धित मांगी गयी सूचनाओं को प्रदान किया जाता है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त परिषद के कर्मचारियों को परीक्षाफल निर्माण से सम्बन्धित कुछ कार्यों को सम्पन्न करने के लिये शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार पारिश्रमिक/मानदेय की व्यवस्था भी है। प्राविधिक

शिक्षा परिषद से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट
www.bteup.com. पर उपलब्ध हैं।

{ आर०सी०राजपूत }
सचिव,